

५८

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2020 दिनांक: 18.01.2022 की पालना में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए निम्नानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

क्र. स.	कार्मिक का नाम	पद नाम	पदस्थापन स्थान	चयन का पद
1	2	3	4	5
1	गोपीलाल औदिच्य	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	RSCERT उदयपुर	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I
2	राजेश तम्बोली	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	राउमावि, चन्देसरा, उदयपुर	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।



५८
(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2019/बो-2/159 दिनांक: 28-01-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर